न्यायालय –प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सरायपाली, जिला महासमुंद (छ०ग०)
(पीठासीन– श्रीमती शोभना कोष्टा)

दावा प्रकरण क्रमांक 31/2022
संस्थित तिथि –03/11/2022
सी.आर.एन.क्र. सी.जी.एम.ए.040009872022

01. श्रीमती मोनिका नाग पति स्व. सुभाष नाग उम्र 37 वर्ष

02. किशोर नाग पिता स्व. सुभाष नाग उम्र 19 वर्ष

03. नाबालिक श्वेता नाग पिता स्व. सुभाष नाग उम्र 13 वर्ष

नाबालिक द्वारा वली माता श्रीमती मोनिका नाग पति स्व. सुभाष नाग

04. नरसिंग नाग पिता नंदलाल नाग उम्र 68 वर्ष

05. इन्दु नाग पति नरसिंग नाग उम्र 58 वर्ष

सभी निवासी ग्राम बिटांगीपाली थाना/तहसील बसना

जिला–महासमुंद (छ.ग.) **..आवेदिकागण**

–::विरूद्ध ::–

01. राजेश कुमार बिसी पिता दिवाकर बिसी

निवासी वार्ड नंबर 07 कुम्हारपारा, बसना

थाना/तहसील बसना जिला महासमुंद (छ.ग.)

(वाहन बोलेरो क्रमांक C G 06 G S 0190 का चालक)

02. आशीष नंद पिता सुकदेव नंद

निवासी गेर्रभांठा, रसोड़ा थाना/तहसील बसना

जिला महासमुंद (छ.ग.)

(वाहन बोलेरो क्रमांक C G 06 G S 0190 का पंजीकृत स्वामी)

03. आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

द्वारा – प्रबंधक,

ग्राउण्ड फ्लोर वाणिज्य भवन देवेन्द्र नगर रोड रायपुर छ.ग.

(वाहन बोलेरो क्रमांक C G 06 G S 0190 का बीमाकर्ता कंपनी)

पॉलिसी क्रमांक 3001/MN–14829582/00/00

म्याद अवधि दिनांक 25/10/2019 से दिनांक 24/10/2022 तक वैध

.... **अनावेदकगण**

आवेदिकागण द्वारा श्री बिरेश भोई अधिवक्ता ।

अनावेदक क्रमांक 01, 02 द्वारा श्री पी. चौधरी अधिवक्ता ।

आवेदक क्रमांक 03 द्वारा श्री जे.के. पटेल अधिवक्ता ।

–:: अधिनिर्णय ::–

(आज दिनांक 02/08/2024 को घोषित)

01– आवेदिकागण द्वारा दिनांक 11/06/2022 को थाना बसना क्षेत्रांतर्गत ग्राम बिटांगीपाली एन.एच. 53 रोड पुल पास वाहन बोलेरो क्रमांक C G 06 G S 0190 से हुई दुर्घटना में आवेदिका क्रमांक 01 के पति, आवेदक क्रमांक 02, 03 के पिता एवं आवेदक क्रमांक 04 एवं 05 के पुत्र सुभाष नाग को आई चोंट के फलस्वरूप उसकी मृत्यु होने पर

40,00,000 रूपये प्रतिकर राशि की मांग करते हुए दावा प्रस्तुत किया गया है । दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को आगे प्रश्नगत वाहन से संबोधित किया जा रहा है ।

02– दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 11.06.2022 को मृतक सुभाष नाग रात्रि के 20:30 बजे से 21:00 बजे के मध्य अपने मोटर सायकल क्रमांक C G 06 G D 1879 में ग्राम टेमरी से अपने गृह ग्राम बिटांगीपाली आ रहा था कि एन एच 53 रोड बिटांगीपाली पुल के पास पीछे से आ रही वाहन बोलेरो क्रमांक C G 06 G S 0190 के चालक ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर सुभाष नाग के मोटरसायकल को पीछे से ठोकर मारकर दुर्घटना कारित कर दिया जिससे सुभाष नाग व उसका साथी सुशील कुमार साव नीचे गिर गये, आसपास के लोगों के सहयोग से सुभाष नाग एवं सुशील कुमार साव को एम्बुलेंस 108 के माध्यम से शासकीय अस्पताल बसना ले गये जहाँ पर डॉक्टर द्वारा जाँच कर मृत्यु हो जाना बताया गया । उक्त घटना के संबंध में थाना बसना में अपराध क्रमांक 278/2022 अंतर्गत धारा 304ए, भा.द.वि. पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना उपरांत अनावेदक क्रमांक 01 के विरूद्ध संबंधित न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया । मृतक सुभाष नाग 39 वर्षीय विवाहित स्वस्थ व्यक्ति था तथा अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र संतान था जो कृषि का कार्य कर मासिक 16,000 रूपये कमाई करता था, उक्त आय को मृतक अपने परिवार एवं माता पिता का भरण पोषण करता था जिसके असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण उसके परिवार एवं माता पिता के सामने गंभीर आर्थिक संकट के कारण भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो गयी है । अतः विभिन्न मदों में क्षति की गणना करते हुए आवेदिकागण द्वारा अनावेदकगण से

संयुक्ततः एवं पृथकतः क्षतिपूर्ति के रूप में रूपये 40,00,000 रूपये की राशि की मांग की गयी है ।

03– अनावेदक क्रमांक 01 एवं 02 की ओर से संयुक्त रूप से जवाबदावा प्रस्तुत कर आवेदन की समस्त कंडिका को अस्वीकार किया है । उन्होंने घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 01 को वाहन का चालक एवं अनावेदक क्रमांक 02 को वाहन का पंजीकृत स्वामी होना स्वीकार किया है और प्रश्नगत वाहन को अनावेदक क्रमांक 03 के पास दिनांक 25.10.2019 से दिनांक 24.10.2022 तक की अवधि के लिए बीमित होना बताया है और घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 01 के पास वाहन चलाने का वैध एव प्रभावशील ड्रायविंग लायसेंस होना तथा वाहन को बीमा शर्तों के अनुसार चलाया जाना बताते हुए क्षतिपूर्ति अदायगी का संपूर्ण दायित्व बीमा कंपनी को होना बताया है ।

04– अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर दावे की समस्त कंडिकाओं से इंकार किया है । आगे अतिरिक्त कथन करते हुए तथाकथित दुर्घटना दिनांक को उल्लेखित वाहन बोलेरो क्रमांक C G 06 G S 0190 के पंजीकृत स्वामी एवं चालक द्वारा उक्त वाहन को चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी लायसेंस, पंजीयन पुस्तिका एवं फिटनेस धारित किये बगैर वाहन का चालन कर बीमा पॉलिसी में निहित मूलभूत नियमों व शर्तों का स्वैच्छिक भंग कर वाहन का चालन कर बीमा संविदा भंग करने के कारण घटना से उत्पन्न किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए यह अनावेदक उत्तरदायी नहीं है । दुर्घटना दिनांक व समय पर वाहन मोटर सायकल क्रमांक CG 06 GD 1879 के चालक/मृतक के द्वारा बिना ड्रायविंग लायसेंस चालन अर्हता के बगैर लोकमार्ग पर वाहन चलाते हुए स्वयं दुर्घटनाजन्य परिस्थितियाँ निर्मित करने के

परिणाम स्वरूप हुई दुर्घटना के लिए स्वयं उत्तरदायी होने के कारण आवेदक किसी प्रकार क्षतिपूर्ति राशि पाने की पात्रता नहीं रखता है । अनावेदक द्वारा बीमित वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई है, कथित दुर्घटना के संबंध में पुलिस थाना बसना जिला महासमुंद द्वारा दर्ज मर्ग इंटीमेशन नक्शा पंचायत शव परीक्षण हेतु आवेदन में स्पष्ट रूप से यह लेख किया गया है कि दुर्घटना दिनांक 11.06.2022 को दुर्घटना किसी अज्ञात वाहन के चालक द्वारा कारित किया गया है तथा अज्ञात वाहन चालक के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है । तथाकथित वाहन बोलेरो क्रमांक C G 06 G S 0190 के स्वामी व चालक द्वारा 134 सी मोटरयान अधिनियम का अनुपालन नहीं किया गया है । उपरोक्त आधारों पर बीमा कंपनी ने स्वयं को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति अदा किये जाने हेतु दायित्वाधीन नहीं होना बताया है ।

05– आवेदिकागण द्वारा अपने समर्थन में आ०सा० 01 किशोर नाग, आ० सा० 02 योगेश्वर साव, का कथन कराया है । अनावेदकगण द्वारा अपने समर्थन में किसी का साक्ष्य नहीं कराया गया है ।

06– उभय पक्ष के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण में निम्नानुसार विचारणीय प्रश्न है : –

क्र.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
01	क्या दिनांक 11/06/2022 को रात्रि लगभग 20:30 से 21:00 बजे के मध्य घटनास्थल थाना बसना क्षेत्रांतर्गत ग्राम बिटांगीपाली एन.एच. 53 रोड पुल पास अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा अनावेदक क्रमांक 02 के स्वामित्व की वाहन बोलेरो क्रमांक C G 06 G S 0190 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक	**"प्रमाणित"**

	चलाते हुए मोटरसायकल क्रमांक सी जी 06 जी. बी. 1879 को पीछे से ठोकर मारकर दुर्घटना कारित कर दिया, मोटरसायकल में सवार मृतक सुभाष नाग नीचे गिर गया और उसके शरीर में गंभीर चोटे आयी जिसके परिणामस्वरूप ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी?	
02	क्या घटना घटित होने में मृतक की स्वयं की लापरवाही रही है ?	**"प्रमाणित नहीं"**
03	क्या घटना के समय दोषी वाहन का चालन बीमा शर्तों के उल्लंघन में किया जा रहा था ?	**"प्रमाणित नहीं"**
04	क्या आवेदिकागण, अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है ?	आवेदिकागण, अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी से **16,87,200/– रूपये (सोलह लाख सत्यासी हजार दो सौ रूपये)** मय ब्याज 09 प्रतिशत वार्षिक के दर से प्राप्त करने के अधिकारी है ।
05	सहायता एवं व्यय ?	कंडिका **21** के अनुसार अधिनिर्णित

–: : निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार : :–

वादप्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 पर सकारण निष्कर्ष :– साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने एवं सुविधा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए दोनों वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है ।

07– प्रकरण में घटना से मृतक सुभाष नाग की मृत्यु होना अविवादित रहा है और आवेदिकागण ने घटना अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा प्रश्नगत वाहन को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर घटना कारित करने का कथन किया है । वहीं बीमा कंपनी द्वारा उक्त घटना मृतक की लापरवाही से होने का एवं प्रश्नगत वाहन से नहीं होने का आधार लिया है। अतः घटना घटित होने की परिस्थितियों को देखें तो इस संबंध में आवेदक क्रमांक 01 किशोर नाग स्वयं को आसा 01 के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसने अपने साक्ष्य में कहा है कि "आवेदिका क्रमांक 01 श्रीमती मोनिका नाग मेरी माता है, नाबालिग श्वेता नाग मेरी बहन है, नरसिंग नाग, इन्दू नाग मेरे दादा दादी है तथा मृतक सुभाष नाग मेरे पिता है । 11.06.2022 को रात्रि लगभग 08:30 से 09:00 बजे के बीच मेरे पिता अपने साथी सुशील कुमार साव के साथ उनके मोटरसायकल सी जी 06 जी डी 1879 में पीछे बैठकर ग्राम टेमरी से अपने निवास ग्राम बिटांगीपाली आ रहे थे, कि बिटांगीपाली एन.एच. 53 रोड से आ रही बोलेरा वाहन क्रमांक सी जी 06 जी एस 0190 के चालक द्वारा अपने वाहन को तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मेरे पिता सुभाष नाग को दुर्घटना कारित कर दिया । उक्त दुर्घटना से मेरे पिता के पूरे शरीर पर गंभीर चोटे लगी थी । वहाँ से मेरे पिता को शासकीय अस्पताल बसना ले जाया गया। जहाँ डॉक्टर साहब द्वारा जाँच करने पर मेरे पिता की मृत्यु हो जाना बताया गया । दुर्घटना के संबंध में थाना बसना में रिपोर्ट की गयी थी । दुर्घटना के समय मेरे पिता श्री सुभाष नाग की उम्र 39 वर्ष थी । मरे पिता खेती किसानी एवं कोटवारी का काम करते थे । मेरे पिता उक्त कार्य से 16,000 रूपये मासिक आय प्राप्त कर लेते थे । उक्त आय से ही हमारे पूरे परिवार का

जीवकोपार्जन होता था । उनके दुर्घटना से असामयिक मृत्यु हो जाने से हमें जीविकोपार्जन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ।

08– आगे कहा है कि मैंने अपने दावे के समर्थन में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना के दांडिक प्रकरण क्रमांक 763/2023 की अंतिम प्रतिवेदन प्रपी 01, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 02, अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना पंजी प्रपी 03, नक्शा पंचायतनामा प्रपी 04, शव परीक्षण के लिए आवेदन प्रपी 05, शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रपी 06, अपराध विवरण फार्म प्रपी 07 एवं 08, संपत्ति जप्ती पत्रक क्रमशः प्रपी 09, 10 एवं 11, गिरफ्तारी पत्रक प्रपी 12 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं मृतक सुभाष का आधार कार्ड, आवेदकगण का आधार कार्ड तथा वाहन का आर.सी. बीमा पॉलिसी एवं वाहन चालक का ड्रायविंग लायसेंस की छायाप्रति प्रस्तुत किया हूँ" इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में जब उसके पिता का दुर्घटना कारित हुआ उस समय वह वहाँ उपस्थित नहीं था एवं दुर्घटना कैसे हुआ वह नहीं जानता के सुझावों को स्वीकार किया है तथा घटना बोलेरो वाहन से नहीं हुई है के कथनों से इंकार किया है।

09– आसा 02 योगेश्वर साव ने अपने साक्ष्य में कहा है कि "मैं मृतक सुभाष नाग को जानता हूँ । जो मेरे गाँव का है । घटना दिनांक 11.06.2022 को रात्रि लगभग 08:30–09:00 बजे मैं बिहारी ढाबा से वापस ग्राम बिटांगीपाली आ रहा था । मेरे सामने लगभग 50 मीटर की दूरी पर मृतक सुशील कुमार साव व मृतक सुभाष नाग मोटरसायकल साईन होण्डा से जा रहे थे । तभी बिटांगीपाली पुल के पास पीछे से आ रही बोलेरो क्रमांक सी जी 06 जी एस 0190 के चालक द्वारा अपने वाहन को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मृतकगण के मोटरसायकल को पीछे से ठोकर मार दिया जिससे मृतकगण नीचे गिर गये जिससे उन्हें गंभीर

चोटे आयी । तब मैंने गांव वालों को घटना की खबर दिया उसके पश्चात मृतक के घरवाले एवं गाँववाले घटना स्थल पहुंचे तथा 112 वाहन से मृतकगण को अस्पताल ले गये जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया" प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने मृतक सुशील कुमार व मृतक सुभाष नाग जब मोटरसायकल में था उस समय बोलेरो वाहन ओवरटेक कर रहा था के सुझावों को स्वीकारा है । आगे जब बोलेरो वाहन ओवरटेक कर रहा था तब सुशील कुमार हड़बड़ा गया था और दुर्घटना कारित होने के सुझाव से इंकार किया है तथा स्वतः कथन करते हुए कहा है कि बोलेरो वाहन चालक अपनी वाहन को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मृतकगण के मोटरसायकल को ठोकर मारा था ।

10– इस तरह दुर्घटना के संबंध में प्रस्तुत दोनों साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेषण करें तो जहाँ आसा 02 ने स्वयं को प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है और अपने मुख्य परीक्षण में वाहन क्रमांक CG 06 GS 0190 के चालक द्वारा अपने वाहन को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मृतकगण के मोटरसायकल को पीछे से ठोकर मारकर दुर्घटना कारित करने और दुर्घटना होते हुए देखने का कथन किया है । वहीं प्रतिपरीक्षण में भी यह साक्षी अपने कथनों पर अडिग रहा है, जिस कारण उसके मुख्य परीक्षण के कथन प्रतिपरीक्षण में अखंडित रहे हैं । इस साक्षी का समर्थन करते हुए आसा 01 ने अनावेदक क्रमांक 01 के विरूद्ध दर्ज दांडिक प्रकरण की सत्यापित प्रतियों को प्रस्तुत किया है।

11– जहाँ तक दांडिक प्रकरण की प्रतियों के साक्ष्य में ग्राह्य होने का प्रश्न है तो प्रस्तुत दांडिक प्रतियों के संबंध में **न्यायदृष्टांत–राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन विरूद्ध नंद किशोर 2002 (1) मो०दु०दावा 366** में उद्धरित है कि दुर्घटना में प्रतिकर का निराकरण

करते समय साक्ष्य अधिनियम के कठोर प्रावधानों पर जोर नहीं देना चाहिए, संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए । इस संबंध में प्रथम सूचना पत्र, अन्वेषण, मानचित्र, पंचनामा अथवा चिकित्सा से संबंधित अन्य सुसंगत दस्तावेजों जिसे पुलिस अथवा चिकित्सकों के द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के तहत तैयार किये जाते हैं, उन्हें बिना किसी औपचारिक सबूत के रूप में साक्ष्य में स्वीकार होते हैं, जब तक कि उनहें मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा खंडित न कर दिया जावे । इस प्रकरण में खण्डन दर्शित नहीं है जिस कारण अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा प्रश्नगत वाहन का तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चालन कर घटनाकारित करने की उपधारणा निर्मित होती है ।

12– जहाँ तक घटना अज्ञात वाहन से घटित होने का प्रश्न है तो इस संबंध में बीमा कंपनी ने मात्र कथन किये हैं उनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि संलग्न दांडिक प्रकरण के प्रतियों में प्रपी 10 से प्रश्नगत वाहन के चालक का ड्रायविंग लायसेंस एवं जप्ती पत्रक प्रपी 11 से प्रश्नगत वाहन मय दस्तावेज के जप्त किया जाना दर्शित हो रहा है जिनका खण्डन नहीं किया जा सका है । इसके अलावा मुख्य यह है कि यदि वाकई दुर्घटना प्रश्नगत वाहन से नहीं हुई है तो अनावेदक क्रमांक 01 व 02 ने इस संबंध में कहीं कोई शिकायत क्यों नहीं की। उनके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष भी विचारण के दौरान उपस्थिति दी जा रही थी परंतु उनके द्वारा उस दौरान भी कहीं कोई ऐसी शिकायत नहीं की गयी गयी ना ही इस संबंध में कोई कथन किये गये हैं और न ही स्वयं को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है जिस कारण घटना प्रश्नगत वाहन से होना प्रमाणित है और घटना अज्ञात वाहन से होना प्रमाणित नहीं है ।

13– जहाँ तक घटना घटित होने में मृतक की स्वयं की लापरवाही का प्रश्न है तो इस संबंध में भी बीमा कंपनी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है ना ही यह बताया है कि घटना घटित होने में किस प्रकार से मृतक की स्वयं की लापरवाही रही है । इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 01 व 02 ने भी अपने जवाबदावे में कोई आधार नहीं लिये है और न ही स्वयं को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है और न ही इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है । मुख्य यह है कि यह आधार बीमा कंपनी द्वारा लिया गया था जिस कारण इस आधार का प्रमाण भार भी बीमा कंपनी पर ही था, जिसे प्रमाणित करने में बीमा कंपनी असफल रही है । उक्त आधार पर साक्ष्य के अभाव में घटना घटित होने में मृतक की स्वयं की लापरवाही अप्रमाणित पायी जाती है । इस तरह उपरोक्त विवरण से घटना कारित होने में अनावेदक क्रमांक 01 की लापरवाही प्रमाणित पायी जाती है और **वादप्रश्न क्रमांक 01** का निष्कर्ष "**प्रमाणित"** में तथा **वादप्रश्न क्रमांक 02** का निष्कर्ष **"प्रमाणित नहीं"** में दिया जाता है ।

<u>वाद प्रश्न क्रमांक 03 पर सकारण निष्कर्षः–</u>

14– इस वाद प्रश्न का प्रमाणन भार बीमा कंपनी पर था। बीमा कंपनी ने जवाबदावा में प्रश्नगत वाहन को बीमा शर्तों के उल्लंघन में चलाये जाने का अभिवचन लिया है किन्तु अपने अभिवचन के समर्थन में उनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अनावेदक क्र 01 द्वारा प्रश्नगत वाहन को बीमा शर्तों के उल्लंघन में चलाया जाना दर्शित हो सके। इसके विपरीत प्रस्तुत दांडिक प्रकरण के प्रतियों में प्रपी 10 से प्रश्नगत वाहन के चालक का ड्रायविंग लायसेंस एवं जप्ती पत्रक प्रपी 11 से प्रश्नगत वाहन एवं वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, वाहन का बीमा प्रमाण पत्र, वाहन की बीमा पॉलिसी जिसकी म्याद दिनांक 25.10.2019 से दिनांक

24.10.2022 तक थी एवं वाहन स्वामी का ड्रायविंग लायसेंस जप्त किया जाना दर्शित हो रहा है जिसके खंडन में बीमा कंपनी द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में घटना दिनांक को वाहन का चालन बीमा शर्तो के उल्लंघन में होना प्रमाणित नहीं है। अतः **वाद प्रश्न क्र. 03** का निष्कर्ष **''प्रमाणित नहीं''** में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक 04 पर सकारण निष्कर्ष:–

15– इस प्रश्न को साबित करने का भार आवेदकगण पर था। आवेदकगण ने अपने दावे में एवं न्यायालयीन कथनों घटना के समय मृतक की उम्र 39 वर्ष होना बताया है, हालाँकि इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है जिसे आसा 01 द्वारा अपने साक्ष्य में स्वीकार भी किया गया है । इस संबंध में **न्यायदृष्टांत– ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि0 रायगढ़ सी0 जी0 वि0 उमंग नितिन भाई सोमपुरा एवं अन्य, आई0एल0आर0 2019 छ0ग0 1926,** में दिये गये मार्ग दर्शानुसार मृतक की उम्र संबंधी सबूत का अभाव होने पर मृतक की उम्र का निर्धारण करते समय शव परीक्षण विवरणी में उल्लेखित उम्र को गुणक लागू करने हेतु विचारार्थ लिया जा सकता है। अतः शव परीक्षण रिपोर्ट प्रपी. 06 में उल्लेखित उम्र 35 वर्ष होने के आधार पर मृतक की उम्र घटना के समय 35 वर्ष होना प्रमाणित पाया जाता है

16– जहाँ तक मृतक का आय अर्जन करने का प्रश्न है तो आवेदक ने मृतक का कृषि एवं कोटवारी का कार्य कर 16,000 रूपये मासिक आय अर्जित करना बताया है । परंतु उक्त आय अर्जित करने के संबंध में उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्वयं आवेदक ने अपने साक्ष्य में अपने पिता के द्वारा कृषि एवं कोटवारी का कार्य किये जाने के संबंध में एवं 16,000 रूपये की आय प्राप्त करने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किया

जाना स्वीकारा है। स्पष्ट है कि मृतक का 16,000 रूपये मासिक आय अर्जित करना प्रमाणित नहीं है । ऐसे में जहां मृतक की आय के संबंध में कोई निश्चित दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न हो तो वहां पर प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों से मृतक के आय अर्जन करने की क्षमता पर विचार किया जाना अति आवश्यक हो जाता है इस संबंध में न्यायदृष्टांत– **बसंती देवी वि0 डिवीजनल मैनेजर द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि0 एल. एल. 2021 एच0सी 728 में यह प्रतिपादित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि– Potential to earn can be considered to determine compensation If there is no evidence for actual income.**

17– अतः उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में घटना समय में मृतक की आय अर्जन क्षमता पर विचार करें तो जहां मृतक के आश्रिततों संख्या 05 होना दर्शित है ऐसे में मृतक का अपने परिवार का पालन पोषण के लिए आय अर्जित करने के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त आधार पर घटना, समय, उनके रहन सहन एवं मंहगाई भत्ते को ध्यान में रखते हुए मृतक की मासिक आय 7,000 रूपये एवं **न्यायदृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय सेठी व अन्य, सिविल अपील नंबर 25590/2014** के अनुसार मृतक की आयु के आधार पर उसकी भविष्य की आय में 40 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये मृतक की मासिक आय 9,800/–रूपये निर्धारित की जाती है ।

18– जहां तक आश्रितता का प्रश्न है तो अभिलेख से मृतक के आश्रितों की संख्या 05 होना दर्शित है। ऐसे में **न्यायदृष्टांत सरला वर्मा व अन्य विरूद्ध दिल्ली परिवहन निगम एवं एक अन्य 2009 (2) ए0सी0जे0 पेज नं0–1298 एवं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**

विरूद्ध प्रणय सेठी व अन्य, सिविल अपील नंबर 25590/2014 के अनुसार मृतक की आय से उसके रहन सहन और व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/4 की कटौती किया जाना उचित पाया जाता है और उक्त न्यायदृष्टांत के अनुसार मृतक की आयु के आधार पर आश्रितता की हानि में 16 का गुणांक किया जाना उचित पाया जाता है। **न्यायदृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय सेठी व अन्य, सिविल अपील नंबर 25590/2014** के मामले में पारंपरिक मद जैसे संपत्ति की हानि एवं दाह संस्कार के मद में क्रमशः रूपए **15,000 तथा 15,000/–** अवार्ड किए जाने के निर्देश दिए गए है। अतः उक्त माननीय न्याय दृष्टांत पर विश्वास करते हुए उक्त मदों में उक्त राशि आवेदकगण, अनावेदकगण से प्राप्त करने का अधिकारी माना जाता है। **मेग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध नानूराम अलियास चुरू राम तथा अन्य (2018) 18 एस सी सी 130** के पालन में प्रत्येक आवेदिकागण को मृतक के स्नेह एवं सुख से वंचित होने के आधार पर रूपए 40,000– 40,000 स्नेह एवं प्रेम से वंचित होने के मद में दिलाया जाना उचित पाया जाता है। **न्यायदृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय सेठी व अन्य,** के अनुसार अंतिम क्रियाक्रर्म एवं अन्य के मद में दी जाने वाली राशि प्रति तीन–तीन वर्ष की अवधि में 10–10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दिया जाना है, अतः उक्त न्यायदृष्टांत के परिपालन में वर्तमान वर्ष को ध्यान में रखते हुए यह राशि 20–20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दिया जाना भी मान्य किया जाता है। आवेदिकागण निम्नानुसार क्षतिपूर्ति राशि पाने के अधिकारी है –

क्रमांक	मद	संगणना
1	मृतक की वार्षिक आय	1,17,600/–
2	मृतक की आय में 1/4 की कटौती उपरांत आश्रितता की हानि में 16 के गुणांक के साथ मृतक के भविष्य की आय की हानि	14,11,200/– रूपये
3	20 प्रतिशत वृद्धि के साथ दाह संस्कार के मद में	18,000/– रूपये
4	20 प्रतिशत वृद्धि के साथ संपदा की हानि के मद में	18,000/– रूपये
5	20 प्रतिशत वृद्धि के साथ पति सुख से वंचित होने के मद में आवेदिका क्रमांक 01 को	48,000/– रूपये
6	20 प्रतिशत वृद्धि के साथ पिता सुख से वंचित होने के मद में आवेदिका क्रमांक 02 को	48,000/– रूपये
7	20 प्रतिशत वृद्धि के साथ पिता सुख से वंचित होने के मद में आवेदक क्रमांक 03 को	48,000/– रूपये
8	20 प्रतिशत वृद्धि के साथ पुत्र सुख से वंचित होने के मद में आवेदक क्रमांक 04 को	48,000/– रूपये
9	20 प्रतिशत वृद्धि के साथ पुत्र सुख से वंचित होने के मद में आवेदिका क्रमांक 05 को	48,000/– रूपये
योग		**16,87,200/– रूपये (सोलह लाख सत्यासी हजार दो सौ रूपये)**

19– इस प्रकार दुर्घटना से हुयी क्षति के एवज में आवेदिकागण की क्षति का आंकलन कुल– **16,87,200/– रूपये (सोलह लाख सत्यासी हजार दो सौ रूपये)** होना मान्य किया जाता है। आवेदिकागण ने देय क्षतिपूर्ति राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाये जाने का निवेदन किया है जो कि प्रचलित ब्याज दर से कही अधिक है। न्यायदृष्टांत– **जितेन्द्र त्रिवेदी**

वि0 कसम दाऊद कुम्हार, 2015 ए0सी0जे0 708 एवं न्यायदृष्टांत मोहिन्दर कौर वि0 हीरानंद सिंघी, 2007 ए0सी0जे0 2123 में प्रतिपादित किया गया है कि ब्याज 09 प्रतिशत की दर से दिलाया जाना चाहिये। उक्तानुसार आवेदिकागण को देय क्षतिपूर्ति राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 03.11.2022 से अदायगी दिनांक तक 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

20– जहां तक देय क्षतिपूर्ति राशि के अदायगी का प्रश्न है तो घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन का अनावेदक क्र03 बीमा कंपनी के समक्ष बीमित होने के तथ्य का खंडन नहीं हो सका है और वाद प्रश्न क्र03 के निष्कर्ष से घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन के चालन में बीमा शर्तो का उल्लंघन होना प्रमाणित नहीं है जिस कारण आवेदकगण को होने वाली क्षतिपूर्ति राशि अदायगी का प्रथमतः दायित्व बीमा कंपनी अनावेदक क्र03 को ठहराया जाता है। अतः वाद प्रश्न क्र0 04 का निष्कर्ष यह अंकित किया जाता है कि आवेदिकागण, अनावेदक क्र0 03 बीमा कंपनी से कुल–**16,87,200/– रूपये (सोलह लाख सत्यासी हजार दो सौ रूपये)** आवेदन प्रस्तुति दिनांक 03/11/2022 से अदायगी दिनांक तक 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित पाने का अधिकारी है।

वादप्रश्न क्रमांक–05 का निष्कर्ष:–

21– इस प्रकार ऊपर की कंडिकाओं में दिये गये निष्कर्षों के आधार पर यह दावा अंशतः स्वीकार किया जाता है तथा आवेदिकागण के पक्ष में एवं अनावेदक क्र0 3 बीमा कंपनी के विरूद्ध निम्नलिखित अवार्ड पारित किया जाता है:–

1. आवेदिकागण दुर्घटना में आयी स्वयं की क्षति के लिए अनावेदक क्र 03 बीमा कंपनी से कुल– **16,87,200/– रूपये (सोलह लाख सत्यासी हजार दो सौ रूपये)** की राशि एवं इस राशि पर दावा आवेदन प्रस्तुति दिनांक 03.11.2022 से अदायगी दिनांक तक 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित पाने के अधिकारी है।

2. अनावेदक क्र 03 बीमा कंपनी उक्त देय राशि अधिनियम के अनुसार 30 दिवस के भीतर आवेदकगण को ब्याज सहित अदा करेगी। उक्त अवधि में राशि अदायगी नहीं होने की दशा में बीमा कंपनी राशि अदायगी तक आवेदन दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की राशि के साथ उपरोक्त राशि अदा करने की दायी रहेगी।

3. धारा 140 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत यदि दोषरहित दायित्व की राशि का भुगतान आवेदिकागण को किया गया हो तो वह राशि क्षतिपूर्ति की उपरोक्त राशि में समायोजित की जायेगी।

4. देय क्षतिपूर्ति राशि में से 3,00,000/– रूपये की राशि नाबालिग आवेदक क्रमांक 03 श्वेता नाग के नाम से उनके वयस्कता प्राप्ति की अवधि तक किसी सावधि जमा योजना के अन्तर्गत किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जावे, अवधि समाप्ति उपरांत आवेदिका उक्त देय राशि मय ब्याज न्यायालय की अनुमति के बिना प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगी। शेष राशि में से 2,00,000/– रूपये की राशि आवेदिका क्रमांक 01 श्रीमती मोनिका नाग के नाम पर तथा 3,00,000/– रूपये आवेदक क्रमांक 02 किशोर नाग के नाम पर तीन–तीन वर्ष की अवधि तक किसी सावधि जमा योजना के अन्तर्गत किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जावे, अवधि समाप्ति उपरांत आवेदिका

क्रमांक 01 श्रीमती मोनिका नाग एवं आवेदक क्रमांक 02 किशोर नाग उक्त देय राशि मय ब्याज न्यायालय की अनुमति के बिना प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। शेष राशि में से 50,000-50,000 रूपये की राशि आवेदक क्रमांक 04 नरसिंग नाग एवं आवेदिका क्रमांक 05 इन्दु नाग को नगद प्रदान की जावे। शेष सम्पूर्ण राशि आवेदिका क्रमांक 01 श्रीमती मोनिका नाग को इस अधिकरण के चैक के माध्यम से नगद प्रदान की जावे ।

5. अनावेदकगण दावे में अपना तथा आवेदिकागण का भी वाद व्यय वहन करेंगे।

6. अधिवक्ता शुल्क, तालिका अनुसार या प्रमाण पत्र पेश होने पर जो भी कम हो, देय होगा।

''तदनुसार मेमो ऑफ एवार्ड बनाई जावे''

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

SHOBHNA KOSHTA
Digitally signed by SHOBHNA KOSHTA
Date: 2024.08.03 17:40:16 +0530

स्थान-सरायपाली
दिनांक- 02.08.2024

(श्रीमती शोभना कोष्टा)
प्रथम मो. दु. दावा अधिकरण
सरायपाली जिला महासमुंद (छ.ग.)